Maulana Azad University
PROSPECTUS
(2015-16)

Kamala Nehru Nagar,
Pal Link Road.
Jodhpur (Raj.) 342001

प्रेरणा स्त्रोत :

भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री "श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद" एक महान स्वतन्त्रता सैनानी होने के साथ–साथ ही उन्मुकत विचार धारा एवं राष्ट्रीय एकता के प्रबल सर्मथक राष्ट्रवादी नेता थे। मौलाना आजाद की शिक्षा के प्रति सिद्धान्तवादी दूरदर्शिता

''ज्ञान और सभ्यता किसी की बापौती नही, यह जाति ,रंग, धन और गुटों के कंलक से मुक्त है''

ने स्वतन्त्र भारत के हर नागरिक के लिये शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री आजाद की इस दृष्टिकोण का आदर करते हुऐ मारवाड़ मुस्लिम एज्यूकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी द्वारा राजस्थान सरकार के "मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्या 35 के अन्तर्गत "मौलाना आजाद विश्वविद्यालय" की स्थापना राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर में सन् 2013 में की गई। विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप होते हुऐ भी, यह विश्वविद्यालय समाज के अर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के सदस्यों के उत्थान एवं मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने में सतत प्रयत्नरत् हैं।

विश्वविद्यालय वर्तमान मे जोधपुर शहर के मध्य में एक सुन्दर एवं आकर्षक भवन तथा खुले वातावरण में संचालित किया जा रहा है। भवन में सुविधायुक्त कक्षा कक्ष, विभिन्न विषयों के लिए की आवश्यक उपकरणों से युक्त सुसज्जित प्रयोगशालाएं है। विश्वविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग के योग्य एवं अनुभवी शिक्षक उपल्बध है। विश्वविद्यालय अपने छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय एवं बुक बैंक की सुविधा भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालय प्रांगण में विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु समुचित व्यवस्था है। विश्वविद्यालय में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध हैं।

प्रमुख ध्येय :

- कला एवं कार्यकारी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
- अन्तरर्राश्ट्रय स्तर की मूलभूत एवं आवश्यकता आधारित शोधकार्यों के लिये सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- नवीन पद्धतियों पर आधारित शिक्षा के पाठयक्रम विकसित करना एवं विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग करना।
- समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विधार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- सामाजिक दायित्वों को निर्वाहण हेतु विभिन्न प्रचार एवं प्रसार के कार्य करना।

विशेष सूचनाएँ

- छात्र/छात्राओं के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश में सप्ताह के चार कार्यदिवस, (सोम, मंगल,गुरू एवं शुक्रवार) को एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में पहनना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के लिये कुल कक्षाओं मे से 75 प्रतिशत उपस्थिती अनिवार्य हैं।
- समूचित कारणो में विभिन्न परिस्थितियों में छात्र/छात्राओं की उपस्थिती में कुल कक्षाओं की संख्या का 10 प्रतिशत छूट दी जा सकेगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/ छात्राओं को किसी राष्ट्रिय/राज्य एवं विश्वविद्यालय स्तर की किसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु चयनित किये जाने पर भाग लेने के लिये आवश्यक सम्पूर्ण दिनों की
- हर छात्र/ छात्राओं को उपस्थिति का विवरण विश्वविद्यालय कार्यालय में हर समय उपलब्ध रहेगी। संरक्षकगणों से निवेदन है कि वे समय–समय पर अपने पुत्र/पुत्री की उपस्थिति/प्रगति पर विश्वविद्यालय से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करें।
- छात्र/छात्राओं की उपस्थिति सम्बंधित अन्य आव यक सूचनाएँ समय–समय पर विश्वविद्यालय प्र ाासन द्वारा उनके संरक्षकों को सूचित कर दी जायेगी।
- अर्हक परीक्षा में पूरक परीक्षा में उर्त्तीण विद्यार्थियों की उपस्थिति की गणना, परिणाम घोषित होने की तिथि से दस दिन पश्चात् की जायेगी।

प्रवेश नियम

विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में निम्न लिखित मापदण्डों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जायेगा।

निर्धारित आवश्यक मापदण्ड, आरक्षण एवं रियायतें

- विश्वविद्यालय में प्रवेश, उपलब्ध स्थानों एवं अन्य समस्त शर्ते पूर्ण करने पर वरियतानुसार दिया जायेगा।
- पूरक परिक्षा के मामले में अभ्यार्थी को वरियता का निर्धारण उसके द्वारा प्राप्त वास्तविक अंको के आधार पर न होकर पूरक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णाक के आधार पर की जायेगी।
- विभिन्न क्षेत्रों से आये विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु उपरोक्त मापदण्डों की पूर्ण करने के अलावा अर्हक परीक्षा में निम्न मापदण्ड पूर्ण करने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

  - अखिल भारतीय आधार – अर्हक परीक्षा में 60% या अधिक अंक
  - राजस्थान मूल का निवासी होने पर – अर्हक परीक्षा में 50% या अधिक अंक
  - जोधपुर की सीमा में रहने वाले विद्यार्थी – अर्हक परीक्षा में नयूनतम उत्तीर्णाक

➢ सी.बी.एस.ई. विद्यार्थियों के प्रवे ा उनके अर्हक परीक्षा में प्राप्त ग्रेड के प्रसनटाईल्स में प्राप्त कर मैरिट के आधार पर प्रवे ा दिया जाएगा।

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित विद्यार्थियों पर उपरोक्त मापदण्ड लागू नही होगें। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार देश के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी के लिये अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंको से 10% तक छूट दी जायेंगी।
- वि वविद्यालय का स्वरूप "अल्पसंख्यक श्रेणी" का होने से इस श्रेणी के अर्न्तगत आने वाले विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी के लिये अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंको से 5% तक छूट दी जायेंगी।
- अन्य सम्बन्धित विशयों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये नियमों की अनुपालना के अनुसार किये जायेंगे।

असफल अभ्यार्थियों का प्रवे ा

स्वीकृत स्थानों का 5 प्रति ात स्थान संस्थान के असफल अभ्यार्थियो के लिए जो निम्नलिखित भार्तो के अन्तर्गत आते हैं, आरक्षित हैं–

- ऐसा अभ्यार्थी जो बिना उचित/गंभीर कारण बताये परीक्षा में नहीं बैठा हो उसे प्रवे ा नहीं दिया जा सकता।
- जो अभ्यार्थी सभी वैकल्पिक/मूल विशयों में अनुत्तीर्ण रहा हो उसे उसी संकाय की उसी कक्षा में प्रवे ा नहीं दिया जा सकेगा।
- जो अभ्यार्थी पिछले दो वर्शों से लगातार असफल हो रहा हो उसे उसी संकाय की उसी कक्षा में प्रवे ा नहीं दिया जायेंगा।
- जो अभ्यार्थी एक वर्श अनुत्तीर्ण और उसके अगले वर्श किसी भी कारण से परीक्षा में नहीं बैठा हो तो उसे भी दो वर्श तक लगातार अनुत्तीर्ण माना जाएगा एवं इसी कक्षा में प्रवे ा नहीं दिया जायेंगा।

वरीयता निर्धारण व अन्य नियम

अभ्यार्थियों को अपने आवेदन–पत्र में अपने ऐच्छिक विशयों के चयन के सम्बन्ध में क्रमिक हेतु वरियता का उल्लेख करना होगा। प्रवे ा का आधार अभ्यार्थी द्वारा प्राप्तांक तथा उसके साथ जोड़े गये वे महत्व मूल्यांक होंगे जो नियमानुसार स्वीकृत हैं। प्रवे ा हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यार्थियों के नामों की सूचियॉ सूचना–पट्ट पर प्रदि ात की जाएंगी। अभ्यार्थियों की वरीयता सूचियों में उनके द्वारा प्राप्त अंको तथा प्रवे ा के लिए जोडे गए महत्व मूल्यांक का स्पश्ट उल्लेख होगा।

प्रवे ा के लिए चयनित अभ्यार्थियों की सूची भ्ाुल्क सहित आवेदन–पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि के बाद यथा ाीघ्र घोशित कर दी जायेगी एवं विद्यार्थी द्वारा अपनी निर्धारित फीस जमा करा देनी होगी। सूची प्रका ान से पूर्व आव यकतानुसार काउंसलिंग की जा सकेगी।

ध्यान रहे कि फीस निर्धारित समयावधि में ही जमा करा दी जाए। अन्यथा अभ्यार्थियों की प्रवे ा सम्बन्धी अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा।

निर्धारित समयावधि में भाुल्क जमा न करने वाले विद्यार्थियों के आवेदन–पत्रों पर, प्रतीक्षा सूची के सभी विद्यार्थियों पर विचार हो जाने के बाद ही, पुनर्विचार किया जायेगा, ब ार्ते कि सीटें उपलब्ध हों।

प्रवे ाार्थी पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन–पत्र वि ववविद्यालय में ही जमा करावें। आधे–अधूरे भरे हुए आवेदन–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विशय परिर्वतन

ऐसा कोई विद्यार्थी जो किसी विशय या विशयों को उसी संकाय के अन्तर्गत त्रिवर्शीय डिग्री कोर्स प्रथम वर्श में बदलना चाहता हो तो उसके लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है ब ार्ते कि अभ्यार्थी को अन्य पात्रता प्राप्त हो। इच्छुक प्रवे ाार्थी 15 सितम्बर तक प्रार्थना पत्र के साथ 50/– फीस जमा कराकर विशय परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध कुल सीट एंव न्यूनतम अपेक्षित संख्या

सभी विशय–समूह की कक्षाओं में कम–से–कम दस विद्यार्थियों के होने पर ही उस वैकल्पिक विशय का अध्ययन कराया जाएगा। इसी प्रकार एम.कॉम.,एम.ए. एवं एम.एस.सी. में भी दस विद्यार्थियों के होने पर ही उस विशय की कक्षाएं प्रारम्भ हो सकेगी।

अभिभावकों के स्थानान्तरण होने पर प्रवे ा भार्ते एवं तिथियॉ

- अभिभावक के स्थानान्तरण होने पर इस वि ववविद्यालय में प्रवे ा पर उनकी पूर्व महाविद्यालय/वि ववविद्यालय की उपस्थिति इस वि ववविद्यालय की उपस्थिति में सम्मिलित की जा सकेगी।
- ऐसे विद्यार्थियों के प्रवे ा की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर होगी।
- ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्वायत्त ाासी संस्थान के कर्मचारी हैं, के जोधपुर स्थानान्तरण होने पर जोधपुर में कार्यभार सम्भालने के 15 दिन के अन्दर आवेदन करते हैं तो उनके प्रवे ा आवेदन–पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे, ब ार्ते कि उनके गत परीक्षा में प्राप्तांक आखिरी प्रविश्ट विद्यार्थी से कम नहीं हों। ऐसे छात्र/छात्रा जिनके अभिभावक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ एवं मध्य में जोधपुर स्थानान्तरण होकर आये हों तथा पूर्व स्थान पर छात्र/छात्रा नियमित विद्यार्थी हो तथा प्रवे ा कि अन्य भार्तो कि पूर्ती करता हो प्रवे ा ले सकते हैं।

प्रवे ा अस्वीकार करने का आधार

प्रवे ा समिति निम्नांकित स्थितियों में प्रवे ाार्थी का प्रवे ा अस्वीकार कर सकती हैं–

- ऐसा प्रवे ाार्थी जिसने प्रवे ा हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र में कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।

- ऐसा प्रवे ाार्थी जिसने भाुल्क जमा कराने की घोशित तिथि तक वि ववविद्यालय में भाुल्क जमा नहीं कराया हो।
- ऐसा प्रवे ाार्थी जिसने आवेदन–पत्र जमा कराने की घोशित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया हो अथवा अपूर्ण आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया हो।
- ऐसे प्रवे ाार्थी जिसने वि ववविद्यालय में प्रवे ा पाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो।
- ऐसे प्रवे ाार्थी जिसका प्रवे ा वि ववविद्यालय के नियमें के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
- ऐसा प्रवे ाार्थी जो पूर्व वर्शो में किसी बड़े दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो या वि ववविद्यालय परीक्षा काल में कदाचार का दोशी रहा हो।
- परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा वि ववविद्यालय द्वारा दंडित किया गया हो।
- ऐसा प्रवे ाार्थी जिसके विरूद्ध किसी भौक्षणिक अथवा अ ौक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
- ऐसा प्रवे ाार्थी जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोशी ठहराया गया हो।
- ऐसा प्रवे ार्थी जो प्रवे ा प्रक्रिया के समय किसी भौक्षणिक/अ ौक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/ दुर्व्यवहार अथवा गाली–गलौज करने का दोशी हो।
- प्रवेशार्थी के किसी अवांछनीय व्यवहार के कारण।
- प्रवे ा हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण।
- किसी कक्षा में विद्यार्थी तब तक प्रवे ा नहीं पा सकेगा/सकेगी जब तक कि अर्हक परीक्षा उर्तीण न कि हो और प्रवे ा के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता नहीं रखता हो।
- जिस छात्र/छात्रा के खिलाफ वि ववविद्यालय अथवा अन्य विद्यालय/वि ववविद्यालय/महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी ने एफ.आई.आर. लिखवाई हो, वह नियमित छात्र/छात्रा के रूप में किसी विभाग/ संस्थान में प्रवे ा के लिए पात्र नहीं हैं।
- जिस विद्यार्थी के खिलाफ दण्डनीय अपराध सिद्ध होता है और जिससे नैतिक भ्रश्टता स्पश्ट होती है, ऐसे विद्यार्थी को वि ववविद्यालय के विभाग/संस्थान में प्रवे ा नहीं दिया जायेगा।
- प्रवे ा के समय छात्र/छात्रा को निम्नलिखित घोशणा करनी होगी–
  मैं घोशणा कारता/करती हूँ।
  - कि मेरे खिलाफ कोई दण्डनीय अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और न दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर छोडा गया हैं।
  - कि मेरे खिलाफ दण्डनीय अपराध अथवा नैतिक भ्रश्टाचार का मामला किसी भी न्यायलय में लम्बित नहीं हैं।
  - कि मेरे खिलाफ कोई ि ाकायत अथवा एफ.आई.आर. नहीं लिखवाई हुई है।
  - कि पिछले वर्श मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की अनु ाासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई है।
  - कि मुझे यह भली भाँति ज्ञात है कि वि ववविद्यालय की परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठने के लिए मुझे वि ववविद्यालय द्वारा वांछित उपस्थिति अर्जित करनी होगी।

वि वविद्यालय में प्रवे ा हेतु आव यक न्यूनतम योग्यता

- **स्नातक स्तर :–**

10+2 योजना के अर्न्तगत मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित मानदण्डों अनुसार बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. कोर्सों के प्रथम वर्श में प्रवे ा दिया जा सकेगा।

- ➢ बी.ए. – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम अंक उत्तीर्ण
- ➢ बी.कॉम – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
- ➢ बी.एस.सी. – अर्हक परिक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक

❖ 10+2 या समकक्ष परीक्षाओं में बी.ए./बी.कॉम. विशय होने पर बी.एस.सी. कोर्स में प्रवे ा नहीं दिया जायेगा।

- **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :–**

- ➢ एम.ए. – अर्हक परीक्षा बी.ए. में न्यूनतम उर्त्तीण अंक
- ➢ एम.कॉम. – अर्हक परीक्षा बी.कॉम. में न्यूनतम उर्त्तीण अंक
- ➢ एम.एस.सी. – अर्हक परीक्षा बी.एस.सी. में न्यूनतम उर्त्तीण अंक

संकायनुसार उपलब्ध पाठ्यक्रम

स्नात्क स्तर

संकाय	**:**	**विशय**
कला	:	हिन्दी साहित्य, इतिहास, उर्दू, अर्थ ाास्त्र, भूगोल, मंनोविज्ञान, गृहविज्ञान, राजनिति विज्ञान, समाज भााास्त्र, अंग्रेजी
वाणिज्य	:	लेखांकन एवं सांख्यिकी, व्यवसायिक प्र ाासन एवं व्यवसायिक वित एवं अर्थ ाास्त्र
विज्ञान	:	वनस्पति ाास्त्र, रसायन ाास्त्र, प्राणी ाास्त्र, गणित, भौतिक भााास्त्र
अनिवार्य विशय	:	स्नातक स्तर की सभी संकायो में निम्न विशयों का अध्ययन अनिवार्य होगा

- सामान्य हिन्दी या सामान्य अंग्रेजी
- पर्यावरण अध्ययन

अल्प कालिक पाठ्य क्रम :–

विज्ञान संकाय : कम्प्यूटर

संकायनुसार स्वीकृत स्थानः– कला वाणिज्य एवं विज्ञान संकायो में स्नातक स्तर पर प्रत्येक में 240 स्थान उपलब्ध हैं। अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रमानुसार प्रति पाठ्यक्रम 40 स्थान स्वीकृत हैं।

स्नातकोत्तर स्तर

संकाय	**:**	**विशय**
कला	:	हिन्दी, समाज भााास्त्र,
वाणिज्य	:	व्यवसायिक प्र ाासन
विज्ञान	:	गणित

Duration of Course, Mode, and Frequency
Method of Education

In the three year degree course the examination shall extend over a period of one year for 2nd & 3rd year students. In first ear the examination shall be extended over a period of six months.

The examination shall be conducted by means of written papers and practicac's wherever prescribed. The duration of theory and practical examinations will be of 3 and 5 hours respectively.

MEDIUM:

Candidates are not allowed to use any medium other than English or Hindi for answering question papers. For answering question papers in the subject of English the medium will only be English. For answering question papers in the subject of Hindi or Urdu the medium will only be Hindi.

माध्यम :

विद्यार्थी को प्र न–पत्रों का उत्तर देने के लिए हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं हैं। भाषा विषय के प्र न–पत्र के उत्तर देने के लिए उसी भाषा का प्रयोग होगा। हिन्दी एंव उर्दू प्र न–पत्र के उत्तर देने के लिए हिन्दी एंव उर्दू ही माध्यम होगा।

DIVISION:

For a pass, a candidate must secure 36% marks in each subject in theory and practical separately.

In annual system the division will be awarded as follows:

1st Division -60% of the aggregate marks
2nd Division -48% of the aggregate marks
3rd Division -36% of the aggregate marks

In semester system the grading system shall be as follows :-

Marks	Grade	Performance
75-100	A	Excellent
60-74	B	Very Good
48-59	C	Good
36-47	D	Average
36 to Below	E	Needs Improvement

Division is awarded on the aggregate of marks of all the optional subjects.

FEE STRACTURE

संकाय – कला एंव समाज ाास्त्र

क्र. सं.	विवरण	छात्र	छात्राएं
1	Tuition Fee	7500	6500
2	Admission Fee	200	200
3	Enrolment Fee	200	200
4	Other Fee	100	100
TOTAL		**8000**	**7000**

संकाय – वाणिज्य

क्र. सं.	विवरण	छात्र	छात्राएं
1	Tuition Fee	7500	6500
2	Admission Fee	200	200
3	Enrolment Fee	200	200
4	Other Fee	100	100
TOTAL		**8000**	**7000**

संकाय – विज्ञान

क्र. सं.	विवरण	छात्र	छात्राएं
1	Tuition Fee	16000	15000
2	Admission Fee	200	200
3	Enrolment Fee	200	200
4	Other Fee	100	100
TOTAL		**16500**	**15500**

रियायतें एवं आरक्षण

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सम्पन्न श्रेणी में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छोड़कर के अभ्यार्थियों के लिए (सभी तरह के प्रवेश के लिए जहॉ कोई विशेष प्रावधान न हों) क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।
2. अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को सभी संकायो में न्यूनतम योग्यता में 5 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी। यदि फिर भी इन वर्गों के अभ्यार्थियो का स्थान रिक्त रहता है, तो उन्हे न्यूनतम उत्तीर्णक तक रियायत दी जा सकती है। यह प्रावधान, जहॉ प्रवेश हेतु कोई विशेष नियम नही है, उसके लिए लागू होगा।
(अ) सभी तरह के प्रवेशों में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यार्थियो के लिए आरक्षित है। जहॉ यह संख्या एक से भी कम हो वहॉ भी न्यूनतम एक स्थान आरक्षित रहेगा।
(ब) विकलांग अभ्यार्थियों को प्रवेश की सभी योग्यताओं में 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जायेगा परन्तु यह रियायत अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने के लिए ही देय होगी, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
उपर्युक्त (अ) व (ब) का लाभ अभ्यार्थी को तभी दिया जयेगा जब वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी या समकक्ष प्राधिकृत अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तु करें।

टिप्पणी :
विकलांगो एवं कश्मीरी विस्थापितों का आरक्षण सामान्य वर्गो सहित सभी आरक्षित वर्गो मे दण्डवत् होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं कश्मीरी विस्थापितों के लिए आरक्षित स्थान ऐसे वर्गो के अभ्यार्थी अपनी स्वयं की वरीयता के आधार पर सामान्य श्रेणी के स्थानों मे प्रवेश हेतु अपनी वरीयता रखते हों, तो उनके प्रवेश की गिनती आरक्षित वर्गो के लिए आरक्षित स्थानों में नही की जाएगी। राजस्थान के मूल निवासी को इस तरह परिभाषित किया गया है–
जो राजस्थान में रह रहा हो और जिसके माता/पिता पिछले दस वर्षो से राजस्थान में निवास कर रहे हो। उन्हें इस संबंध मे सक्षम अधिकारी से प्राप्त मुल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

खेलकूद/सह शैक्षणिक/शिक्षणेतर उपलब्धियों का लाभ

उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यार्थी ने यह उपलब्धि विगत दो वर्षों में प्राप्त की हो एवं निर्विदान मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया हो और जो उचित सत्यापन के पश्चात् सही प्रमाणित हो।

1– खेलकूद उपलब्धि	लाभ
1.1 भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश
1.2 अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/ उपविजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश
1.3 विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश

राज्य का प्रतिनिधित्व	
1.4 अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश
1.5 सम्बधित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश
1.6 राज्य शिक्षा विभाग अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता मे विजेता/उपविजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्रांप्ताक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
1.7 राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजिम खेल–कूद में स्कूल प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
1.8 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
1.9 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में जोन का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्ताक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

उपर्युक्त अंक–लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन के साथ ही प्रवेशाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उक्त लाभ देय नहीं होगा।

वर्ग

(1) अ ब स : भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित सम्बन्धित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद, राज्य क्रीड़ा परिषद्।

(2)द : विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद्।

(3)य : राज्य क्रीड़ा परिषद्।

(4)र,ल : उपनिदेशक स्तर के अधिकारी/विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्/निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत।

(5)व,स : आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेल– कूद ही मान्य होंगेः

1. एथलेटिक्स 2. जलीय (स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो) 3. बैडमिटंन 4. बास्केटबॉल 5. शतरंज 6. क्रिकेट 7. साईकिल चलाना 8. फुटबाल 9. हॉकी 10. कबड्डी 11. खो–खो 12. टेबल– टेनिस 13. टेनिस 14. वालीबॉल 15. हैन्डबॉल 16. कुश्ती 17. भारोतोलन 18. जिम्नास्टिक 19. जूडो 20. मुक्केबाजी 21. साफटबॉल 22. मल्लखम्भ 23. योगासन 24. बॉल बैडमिंटन 25. पावर लिफिटग एण्ड फिजिक 26. स्कवेश रैकेट

2. एन.सी.सी.

उपलब्धि	लाभ
2.1 मानव संसाधन विासि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
2.2 एन.सी.सी की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
2.3 निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधी में भाग लेना।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि

2.3.1 गणतंत्र दिवस कैम्प
2.3.2 अखिल भारतीय एडवान्स लीडरशिप कैम्प
2.3.3 पैरा जम्पिंग कोर्स
2.3.4 आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान में (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर) भाग।
2.3.5 छात्र/छात्रा विंग में भी सर्टिफिकेट/जी–2 सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति।
2.3.6 जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए–पार्ट–2/जे पार्ट–2 प्रमाण–पत्र प्राप्ति।
2.3.7 स्नो– स्काइंग कोर्स
2.3.8 सीनियर अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति।

टिप्पणी :

गणतंत्र दिवस कैम्प की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वालों को पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाईविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेंचर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयारिंग कोर्स करने को, सी सर्टिफिकेट और जी–2 सर्टिफिकेट ए–ग्रेड सहित उत्तीर्ण कैडेट को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् 4 प्रतिशत का लाभ देय होगा।

निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लेने अथवा विशिष्ठता अर्जित करने पर प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांको में 2 प्रतिशत की वृद्वि

1. आल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैंप
2. छात्र/छात्रा विंग का सी/जी पार्ट–2 सी ग्रेड के साथ
3. ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशीप कोर्स
4. कम से कम तीन सप्ताह का अटेचमेण्ड कोर्स
5. वाटर स्कांइग कोर्स
6. अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति

1.3 पर्वतारोहण

उपलब्धि	
(अ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में राष्ट्र का का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) शिक्षा मंत्रालय अथव विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊॅचाई	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्वि

(स) सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि

1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना :

उपलब्धि	
(अ) अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय एन.एस.एस पुरस्कार से पुरस्कृत स्वंयसेवक	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार दिल्ली में गणंतत्र दिवस परेड/राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/ राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर में भाग लिया हो तथा 2 विशेष शिविरों मे सम्मिलित एवं 240 घण्टों का सेवाकार्य	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि
(स) राज्य स्तर पर शिविर में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में सम्मिलित एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि
(द) एक विशेष शिविर में सम्मिलित तथा 240 घण्टे का सेवा–कार्य	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि

1.5 रोवर/रेंजर स्काउट गाईड :

उपलब्धि	
(अ) राष्ट्रपति रोवर्स कायक्रम में भाग लिया है अथवा विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा अखिल भारतीय भारत स्काउट गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में गत 5 वर्ष की सेवा अवधि में रोवर के नियमित सदस्य अथवा गत दो वर्षों राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्काउट/गाईड/ रोवर/ रेंजर पुरस्कार प्राप्त	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) राज्य स्काउट/गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्वकर्ता यदि गत 2 वर्ष की अवधि में रोवर/रेंजर समागम में नियमित सदस्य हो या निपुण पुरस्कार प्राप्त	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि
(स) गत दो वर्ष में राज्य कमिश्नर से प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र प्राप्त अथवा गत दो वर्ष में रोवर/रेंजर मीट में तीन पताकाएँ प्राप्तकर्ता दल में सम्मिलित अथवा पर्वतारोहण अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्सकर्ता अथवा प्रवीण पुरस्कार	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि

1.6 सह– शैक्षणिक गतिविधियों :

उपलब्धि	
(अ) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हों।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर अथवा केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की वृद्धि
(स) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी राज्य विश्वविघालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/ उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की वृद्धि

टिप्पणी :

उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिय देय नहीं होगा।

(द) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था सम्भांग का प्रतिनिधित्व/अन्तर महाविद्यालय प्रातियोगिता/जिला अथवा सम्भाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण राज्य अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत

1.7 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यार्थियों को देय लाभ

उपलब्धि	लाभ
(अ) मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री। अथवा प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत् या सेवानिवृत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा महिला अभ्यार्थी केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यार्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि (एम.बी.ए., विधि, कम्प्यूटर व अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नही होगा)

की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय
में उपलब्ध न हों।
अथवा
विश्वविद्यालय/निदेशालय कॉलेज शिक्षा के अधीन
महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक/ अशैक्षणिक
कर्मचारीयों के पुत्र/पुत्री।

टिप्पणी :

1. नियम 1.1 से 1.7 के अनतर्गत न्यूनतम उत्तीर्णाक पर प्रवेश का छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नही है।

2. उपर्युक्त लाभ हेतु अभ्यर्थी को सम्बाधित सक्षम अधिकारी/ विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण– पत्र आवेदन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
जिसके अभाव में उेसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। प्रमाण–पत्र बाद में स्वीकार्य नही किये जायेंगे तथा ऐसे प्रमाण–पत्र की छायावृति स्वीकार नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.7 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि जो भी अधिकतम हो का लाभ अभ्यर्थी का देय होगा चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यो न हों।

4. उक्त उपलब्धियॉ एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक ही बार का लाभ देय होगा।

5. उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी का लाभ चाहने वाले अभ्यार्थी को प्रवेश आवदेन पत्र के साथ इस आशय का पृथक् से आवेदन पत्र देना होगा। इसके अभाव में यह लाभ देय नहीं होगा।

टिप्पणी : क्रीडा/खेल के आधार पर प्रवेश कुल स्थानों के 2 प्रतिशत पर ही दिया जायेगा।

श्रेणी तीनों वर्शो के वैकल्पिक विशयों के प्राप्तांकों के समग्र योग पर श्रेणी प्रदान की जाएगी।

अनु ाासन संबंधी नियम

1. कोई भी विद्यार्थी वि ववविद्यालय के किसी भी परिसर या केन्द्रिय कार्यालय में परिचय पत्र या प्रवे ा भुल्क रसीद के बिना प्रवे ा नहीं करेगा।
2. विद्यार्थी प्रेसिडेन्ट/कुलसचिव/अधिश्ठाता एवं अन्य अधिकारियों से यदि किसी कार्यव ा मिलना चाहतें हैं तो इसके लिए उनसे पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
3. विद्यार्थी प्रेसिडेन्ट/कुल सचिव/मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी/अधिश्ठाता एवं अन्य अधिकारियों से एक समय में चार छात्रों से अधिक छात्र नहीं मिल सकते।
4. छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से भाोर करना, प्रद ान करके भाांति भंग करना एवं अ लील भाब्दों का प्रयोग करना अनु ासनहीनता मानी जायेगी।
5. छात्रों द्वारा केन्द्रिय कार्यालय एवं अन्य संकाय परिसरों में हथियार लेकर चलना अनु ाासनहीनता एवं गैर–कानूनी कार्य माना जायेगा।
6. वि ववविद्यालय के कार्यलय एवं अन्य संकाय परिसर में बिना स्वीकृति के सभा करना गैर–कानूनी माना जायेगा।
7. कार्यालय में होने वाली वैधानिक व अन्य समितियों की मीटिंगों में जबरदस्ती अन्दर घुसना, भाांति भंग करना, आदे ाों एवं निर्दे ाों की अवहेलना करना अनु ाासनहीनता माना जायेगा।
8. वि ववविद्यालय की सम्पत्ति को नश्ट करना या क्षतिग्रस्त करना या चोरी करना अथवा हिंसात्मक आंदोलन चलाना अनु ाासनहीनता मानी जायेगी।
9. विद्यार्थियों द्वारा वि ववविद्यालय कार्यालय, संकाय कार्यालय में अनाधिकृत प्रवे ा करना या किसी अधिकारी, कर्मचारी या ि ाक्षक के साथ अनु ाासनहीनता करने पर उनके खिलाफ अनु ाासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

रैगिंग के विरूद्ध कानूनी चेतावनी

वि वविद्यालय परिसर अथवा छात्रावास परिसर अथवा वि वविद्यालय परिसर के बाहर किसी भी विद्यार्थी द्वारा किसी अन्य विद्यार्थी की रैगिंग लेना कानूनन् निशेध है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्दे ाानुसार यदि कोई विद्यार्थी की रैगिंग की गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा संस्था द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जायेगी। अगर कोई विद्यार्थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रैगिंग का दोशी पाया गया या रैगिंग के लिये किसी को उकसाते हुए पाया गया तो उसका ऐसा कृत्य दण्डनीय अपराध होगा और ऐसे विद्यार्थी एवं उसके सहयोगी सख्त कार्यवाही के भागीदार होंगे।

अनु ाासनात्मक कार्यवाही

1. जिस छात्र के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकता रिपोर्ट दर्ज हो, अपराधवृत्ति के कारण सजा पाई हो, जमानत पर छूट हो या न्यायालय में मुकद्दमा विचाराधीन हो वह छात्र वि वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवे ा पाने हेतु आयोग्य माना जायेगा।
2. अनु ाासनहीनता की घटना की सूचना तत्काल संबंधित उच्च अधिकारी को देनी होगी। सूचना देने के संदर्भ में कोताही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध भी नियमानुसार अनु ाासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में वह अधिकारी जॉच कर टिप्पणी करके तुरन्त कुलानु ाासक को भेजेंगे। कुलानुशासक आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।
3. वि वविद्यालय से निलम्बित छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसे छात्र के निलम्बन की अवधि अनुशासनात्मक कार्यवाही चलते रहने तक बनी रहेगी। इसके प चात् अभियोग पत्र तैयार करके वि वविद्यालय अनु ाासन समिति को भेज दिया जायेगा, यह समिति दण्ड का निर्धारण करेगी, जिसमें छात्रों का वि वविद्यालय से स्थायी निश्कासन भी हो सकता है।

यदि कोई विद्यार्थी नियमों को भंग करने का दोशी पाया जाता है तो वह निम्नलिखित में किसी एक अथवा एकाधिक दण्ड का भागीदार होगा :–

1. अनुबद्ध समयावधि के लिए अथवा वि वविद्यालय से बहिश्कार (रेस्टिके ान) जिसकी सूचना भारतवर्श के दूसरे वि वविद्यालयों को भी दी जायेगी।
2. वि वविद्यालय से हमे ाा के लिए अथवा अनुबद्ध समयावधि के लिए निश्कासन (एक्सपल ान) जिसकी सूचना भारतवर्श के दूसरे वि वविद्यालय को भी दी जायेगी।
3. संकाय/विभाग से हमे ाा के लिए अथवा अनुबद्ध समायावाधि के लिए निश्कासन।
4. वि वविद्यालय से निलम्बन
5. वि वविद्यालय, संकाय या छात्रावास के सभी क्रियाकलापों (एक्टीविटीज) के अथवा वि ोश रूप से उल्लेख किये गये क्रियाकलापों से उपवर्जन।
6. नकद जुर्माना।
7. छात्रवृत्ति अथवा भाुल्क मुक्ति वापस लेना।
8. भविश्य में अच्छे आचरण हेतु चेतावनी।

कुलानु ाासक/अधिश्ठाता/विभगाध्यक्ष/पुस्तकालय अध्यक्ष स्वयं जांच कर सकते है अथवा किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी द्वारा जॉच करवा सकते हैं।

कुलानु ासक मण्डल में अनु ाासनहीनता करने वाले छात्रों के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा। जहॉ तक सम्भव होगा अनु ाासनहीनता के सभी मामले माता–पिता अथवा संरक्षक को प्रतिवेदित किये जायेंगे। नियम अल्लंघन करने वाले छात्रों के माता–पिता या संरक्षकों को उनके संरक्षितों के मामलों पर विचार हेतु अथवा जब कभी उन्हें बुलाना आव यक हो, बुलाया जायेगा।

दुर्व्यव्हार के दोशी छात्रों के प्रवे ा पर प्रतिबन्ध :

1. वि वविद्यालय में प्रवे ा पाने हेतु इच्छुक उन सभी विद्यार्थियों को आयेग्य माना जायेगा जिनके विरूद्ध वि वविद्यालय या सरकार के अधिकारियों ने पुलिस में प्रथमिकी दर्ज कराई हो।
2. वह कोई भी विद्यार्थी जिसने अपनी अपराधवृत्ति के कारण सजा पाई हो या जमानत पर छूटा हो और उसके विरूद्ध अपराध विशयक मुकद्दमा न्यायालय में विचाराधीन हो, वि वविद्यालय के किसी भी विभाग में प्रवे ा नहीं पा सकेगा।
3. वह कोई विद्यार्थी जिसने वि वविद्यालयों के ि ाक्षकों या अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, वि वविद्यालय में प्रवे ा पाने के योग्य नहीं माना जायेगा।

अनु ाासनहीनता : छात्रों के लिए दण्ड प्रावधान :

- अनु ाासानहीनता की घटना की सूचना तुरन्त परिसर के सम्बन्धित अधिकारी को देनी चाहिए। सम्बन्धित अधिकारी (अधिश्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्रोक्टर/कुल/सचिव/उप कुल सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष आदि) प्रारम्भिक जांच कर घटना की सूचना मय टिप्पणी के तूरन्त कुलानु ाासक को भेजेंगे। इसके आधार पर मूख्य कुलानु ाासक अनु ाासनहीनता से निपटने के लिए आगे कार्यवाही करेंगे।
- जब कोई छात्र गम्भीर अपराध, गम्भीर दुराचरण, दायित्वों के प्रति सतत् उपेक्षा अथवा दुर्व्यवहार के कारण दोशी पाया जायेगा, तो मुख्य कुलानु ाासक उसे कक्षा में जाने से निलम्बित कर देंगे। उस निलम्बन की अवधि में, जो पहली बार में छः मास से अधिक नहीं होगी, वह छात्र वि वविद्यालय की किसी गतिविधि में यहां तक कि परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकेगा।
- निलम्बन के भीघ्र ही बाद अभियोग पत्र वि वविद्यालय की स्थायी अनु ाासन समिति को सौंप दिया जायेगा। वह समिति प्रेसिडेन्ट द्वारा नामंकित ि ाक्षकों से निर्मित होगी, जिसका अध्यक्ष एक वरिश्ट प्राध्यापक होगा। अन्य सदस्य प्रायः सभी संकायो के प्रतिनिधि होंगे जिनका छात्रों पर प्रभूत प्रभाव होगा।
- उस समिति की संस्तुश्टियों पर दूसरी समिति पुनः विचार करेगी। जिसमें प्रेसिडेन्ट, कुलानु ाासक और अधिश्ठाता होंगे। यह समिति अन्ततः उपयुक्त दण्ड निर्धारित करेगी, जिसमें आर्थिक दण्ड, कुछ नि ित समय के लिए निलंबन/निश्कासन अथवा दोनों हो सकते हैं। इस समिति का निर्णय अन्तिम होगा। कुलानु ाासक द्वारा यह दण्ड क्रियान्वित किया जायेगा।
- अगर पुलिस (सरकार) के द्वारा किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पंजीकृत कराये गए तो उस छात्र को तत्क्षण निलंबित कर दिया जायेगा।
- निलंबित/निश्कासित छात्र उस अधिकारी के आदे ा के बिना अपना नामंकन वि वविद्यालय में नहीं कर सकेंगे, जिसने उन्हें निलंबित/निश्कासित किया हो। उस निलंबन/निश्कासन की अवधि में इस छात्र का नामांकन किसी भी अन्य महाविद्यालय या वि वविद्यालय की अध्यापन इकाई में नहीं होगा।

परीक्षा सम्बनधी वि ोश सूचना :

परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत भी दण्डनीय है। इस अधिनियम के तहत् तीन वर्श का कारावास या दो हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

न्यून्तम उपस्थिति, नकल विरोधी अधिनियम

अनिवार्य उपस्थिति :

वि वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों की सैद्धान्तिक (Theory) तथा प्रायोगिक (Practical) कक्षाओं में अलग–अलग उपस्थिति 75 प्रति ात होना अनिवार्य है। इसमें कम उपस्थिति होने पर नियमानुसार परीक्षा में बैठने से रोका जा सकेगा। छात्रों को वि ोश रूप से पराम ा दिया जाता है कि कक्षाओं में बराबर उपस्थित रहें।

परीक्षा अवधि में दुराचरण :

परीक्षा से सम्बन्धित दुराचरणों में निम्नलिखित की गणना होगी :

- केन्द्राधीक्षक/अतिरिक्त अधिक्षक/उप अधिक्षक/परिवीक्षक/उड़न दस्ते के किसी भी सदस्य के आदे ाों की अवहेलना करना। इसके अन्तर्गत उक्त अधिकारियों द्वारा परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार की अभियोगात्मक सामग्री मौजूद होने के संदेह में परीक्षार्थी की तला ाी लेने में परीक्षार्थी द्वारा व्यवधान उत्पन्न अथवा तला ाी देने से मना करना भाामिल है।
- परीक्षा से पहले, परीक्षा के समय या परीक्षा के बाद अधिक्षक/परिविक्षक/परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत किसी कर्मचारी/विद्यार्थी को डराना, धमकाना या अपमानित करना।
- परीक्षा से पहले, परीक्षा के समय या परीक्षा के बाद में अधिक्षक/परिविक्षक/परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत् किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करना।
- परिविक्षक के आदे ा बिना या उनहें उत्तर पुस्तिका दिये बिना या उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर किये बिना, परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घण्टे बाद से पहले परीक्षा भवन छोड़ना।
- उत्तर पुस्तिका अथवा उसके किसी भाग को फाड़ना अथवा नश्ट करना।
- परीक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा डालना या व्यवधान उपस्थित करना या ऐसा करने का प्रयत्न करना।
- दूसरे किसी छात्र को परीक्षा कक्ष छोड़ने या अन्य प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने के लिए बाध्य करना या ऐसा करने का प्रयत्न करना।
- परीक्षा केन्द्र कक्ष में कोई हथियार वगैरह लाना जिसका विरोध परिविक्षक या अधिक्षक ने किया हो।

तदर्थ दण्ड विधान :

ऊपर उल्लेखित दण्डों के अतिरिक्त भी अगर परीक्षा विशयक अपराध में कोई छात्र दोशी पाया जाता है तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेण्ट द्वारा निर्मित अनुचित साधनों की जॉच समिति निम्नलिखित दण्डों में से कोई एक या अधिक दण्ड दे सकती है :

- उस प्र न–पत्र के परीक्षाफल को निरस्त कर देना जिसमें छात्र दोशी पाया गया हो।
- परीक्षा के परीक्षाफल को निरस्त कर देना।
- एक नि चत अवधि तक के लिए भावी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक देना।

पुस्तकालय सुविधा :– केन्द्रीय पुस्तकालय, 2002 में मारवाड़ एज्यूके ानल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, जोधपुर द्वारा स्थापित किया गया और इसका नाम मौलाना आजाद सेन्ट्रल लाईब्रेरी दिया गया। अब यह मौलाना आजाद वि ववविद्यालय का केन्द्रीय पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयो अनु ाासन में लगभग 22,000 पुस्तकों का समृद्ध संग्रह है, एवं विभिन्न विशयों से सम्बन्धित 50 से अधिक जर्नल्स तथा पत्र–पत्रिकायें उपलब्ध हैं।

समय – राजकीय अवका ा को छोड़कर पुस्तकालय प्रातः 08:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक खुला रहेगा।

सदस्यता – पुस्तकालय में विद्यार्थियों, ि ाक्षकों, भोधकर्ताओं एवं कर्मचारियों को सदस्यता दी जाती है। जिसके लिए पुस्तकालय से सदस्यता फॉर्म भर कर जमा करवाना आव यक है। जिसके उपरान्त सभी आवेदकों को लाईब्रेरी कार्ड दिया जाता है जो कि गैर–हस्तांतरणीय होता है।

पुस्तकालय सेवा – पुस्तकालय में दिनचर्या सेवाओं जैसे पुस्तकें आदान–प्रदान, सूचीबद्ध सेवा इत्यादि के अतिरिक्त सेवाऍ प्रदान की जाती हैं।

- संदर्भ सेवा
- वर्तमान जागरूकता सेवा
- सार संक्षेप सेवा
- दस्तावेज डिलीवरी सेवा

अभिभावक– संक्षकक्षक परिशद् (Parent-Teacher council)

औपचारिक व अनौपचारिक ि ाक्षण व्यवस्था के लिए अभिभावक–ि ाक्षकों के मध्य अनौपचारिक आदान–प्रदान के हेतु एक अभिभावक–ि ाक्षण समिति का गठन किया गया।

यह परिशद् विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास हेतु योजनाओ का निर्माण व समस्याओं के निस्तारण के लिये एक परिवार की तरह संगठित रूप से कार्य करती हैं।

मौलाना आजाद खेलकुद परिशद् (Sports Council)

वि वविद्यालय में विद्यार्थियों के भाारीरिक विकास हेतु इस खेलकूद परिशद की स्थापना की गई हैं। परिशद् विद्यार्थियों के लिये विभिन्न Out door एवं In door खेलों कि सुविधा प्रदान करती हैं। इस परिशद् में ि ाक्षकों के अलावा छात्र/छात्रा प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं।

रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केंन्द्र

यह केन्द्र विश्वविद्यालय में अध्यनरत् विद्यार्थियों को उनके भावी जीवन के लिये आव यक रोजगार सम्बंधित सूचना एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन कर प्रोत्साहित करता हैं। केन्द्र मुख्य तया रोजगार अवसर, उध्यमिता प्रि ाक्षण, केम्पस इन्टरव्यू, आदि कार्यो में सहायता प्रदान करता हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाहण हेतु वि वविद्यालय में राष्ट्रिय सेवा योजना स्ववित्त पोषी इकाई का नियमित संचालन किया जा रहा हैं। इकाई के सदस्य समाज सेवा में रक्तदान, वस्त्रदान, अन्नदान, एंव चयनित क्षेत्र/क्षेत्रों में ि ाक्षा, स्वास्थ्य सफाई एंव रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों का आयोजन कर नागरिकों में चेतना उत्पन्न करने की दि ाा में कार्यरत हैं। योजना का मुख्य उदे य छात्रों में समाज सेवा की भावना जाग्रत करना, श्रम की महत्ता की जानकारी देना और उनमें ग्रामीण एवं पिछडे वर्ग के विकास की भावना जाग्रत करना हैं।

रोवर स्काउटिंग(Scouting)

वि वविद्यालय स्तर पर चुने हुऐ समर्पित छात्र/छात्राओं का एक रोवर व रेंजर के रूप में समाज के विभिन्न वर्गो की निःस्वार्थ भाव से सेवा हेतु कार्यरत् हैं।

अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रवेश/छात्रावास/छात्रवृति/पुस्तकालय सुविधा तथा अन्य शैक्षणिक कार्यो में सहायता हेतु कार्यरत् हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रकोष्ठ के निदे ाक सर्म्पक कर सकते हैं।

छात्र सेवा मण्डल

वि वविद्यालय में स्थापित यह मण्डल विद्यार्थियों के कल्याणार्थ उपयोगी सेवाएँ प्रदान करता हैं। प्रमुख सेवाएँ निम्नलिखित हैं।

- उपस्थिती ज्ञान कार्यक्रम
- पाठ्यक्रम, छात्रवृति, वृतिका एंव रोजगार अवसरों का प्रसारण
- वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन

- सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
- कॉमन रूम की व्यवस्था
- केन्टीन की व्यवस्था
- विभिन्न प्रतियोगिताओं नृत्य, संगीत, सामान्यज्ञान इत्यादि का आयोजन करना।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redresal Cell)

किसी भी तरह से विद्यार्थियों, अभिभावकों, कर्मचारियों एवं/संस्थान से सम्बंधित सदस्यों की ि ाकायतों के निवाहरण हेतु वि वविद्यालय में ि ाकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया हैं। प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा ि ाकायतों का समाधान किया जाता है। इस प्रकोष्ठ के सदस्य अध्यापक, कर्मचारी एंव छात्र प्रतिनिधि सदस्य हैं।

विस्तार व्याख्यान प्रकोष्ठ (Extension Lecture Cell)

यह प्रकोष्ठ विभिन्न विषय वि ोशज्ञों द्वारा समय–समय दे ा के प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित कर व्याख्यानों का आयोजन करती हैं। इन वि ोष व्याख्यानों से छात्रों को अतिरिक्त लाभ होता हैं।

IMPORTANT DATES FOR ACADEMIC SESSION 2014-15

01.	शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ	जुलाई 2015
02.	दिपावली अवका ा	11 नवंम्बर 2015 से 15 नवंम्बर 2015 तक
03.	भीतकालीन अवका ा	26 दिसंम्बर 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक
04.	भौक्षणिक भ्रमण, अन्य सह भौक्षणिक गतिविधियॉ तथा खेलकूल सप्ताह, पुरस्कार वितरण समारोह	31 मार्च 2016 तक
05.	वार्शिक परीक्षाऐं	अप्रैल 2016
06.	सेमेस्टर परीक्षाऐं	प्रथम सेमेस्टर– दिसंम्बर 2015 द्वितीय सेमेस्टर– मई 2016
07.	सत्र का अन्तिम कार्य दिवस	14 जून 2016
08.	ग्रीश्मकालीन अवका ा	15 जून 2016 से 30 जून 2016 तक
09.	परीक्षा परिणाम की घोशणा	अन्तिम परीक्षा दिवस से 30 कार्य दिवस के अन्दर
10.	न्वीन सत्र आंरम्भ	जुलाई 2016

Composition of Board of Management

S.No.	NAME	DESIGNATION	MOBILE NO.
1.	Sh. Abdul Aziz	Chairperson	9414135188
2.	Dr. Ghulam Rabbani	President	9413462444
3.	Dr. Ganga Ram Jakhar	Member	9414135042
4.	Sh. Shokat Ansari	Member	9414133918
5.	Sh. Shabbir Ahmed Khilji	Member	9414127505
6.	Sh. Mohd. Atique	Member	9414127387
7.	Sh. Sahbbir Khan	Member	9829010966
8.	Sh. Mohd. Asif	Member	8559985599
9.	Dr. Seema Parveen	Member	9461014122
10.	Dr. Marjeena	Member	9636370152
11.	Commissioner of College Education	Govt. Officer	-
12.	Sh. O.P. Bohra	Registrar & Member Secretary	9413251050

List of Teaching & Administrative Staff

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

S.NO.	NAME	POST / Qual.	MOBILE NO.
1.	Dr. Iname Ilahi	DEAN & Asst. Prof./ M.A., D.C.LL, Ph.D.	9413746210
2.	Dr. Marjeena	Asst. Prof./ M.A., Ph.D. (Hindi)	9636370152
3.	Dr. Anjali Soni	Asst. Prof./ M.A., Ph.D. , NET, B.Ed.	9461722979
4.	Smt. Neelam Joshi	Asst. Prof./ M.A., NET, SLET	9461188075
5.	Sh. Azizul Hasan	Asst. Prof./ M.A., B.Ed., NET	9413756840
6.	Dr. Ravindra Tailor	Asst. Prof./ M.A., M.Phil, Ph.D., S.E.T.	9413224134
7.	Dr. Praveen Depan	Asst. Prof./ M.A., NET, Ph.D.,	9413621272
8.	Dr. Sabra Qureshi	Asst.Prof./ M.Sc., Ph.D., S.E.T.	9828066936
9.	Smt. Tanushi Mathur	Asst.Prof.	8290060122
10.	Sh. Saleem Ahmed	Asst. Prof./ M.A., M.Ed.	9785620892
11.	Dr. Prakash Purohit	Asst. Prof./ M.A., Ph.D.	9610287666
12.	Sh. Manish Kocher	Asst. Prof./ M.A.	7737768913

FACULTY OF COMMERCE

S.NO.	NAME	POST / Qual.	MOBILE NO.
1.	Dr. Nivranjan Kumar Bohra	Dean & Asst. Prof./ M.Com., Ph.D.	9828560942
2.	Dr. Seema Parveen	Asst. Prof./ M.Com., Ph.D.	9461014122
3.	Dr. Abdullaha Khalid	Asst. Prof./ M.Com., Ph.D.	9828062470
4.	Sh. Mohd. Shahid	Asst. Prof./ M.Com., M. Phil.	9414209333 9875081281
5.	Sh. Ram Prakash	Asst. Prof./M.Com.	9772637848
6	Sh. Jitendra Prakash Bohra	Asst. Prof./ M.Com., M. Phil	7792999910

FACULTY OF SCIENCE

S.NO.	NAME	POST / Qual.	MOBILE NO.
1.	Dr. S.P. Vyas	Dean& Asst. Prof./ M.Sc., Ph.D.	9414341456
2.	Dr. Mehboob	Asst. Prof./ M.Sc., Ph.D.	9829586816
3.	Dr. Mohd. Raees	Asst. Prof./ M.Sc., Ph.D.	9982894238
4.	Sh. Habib Pathan	Asst. Prof./ M.Sc.	9950062371
5.	Sh. Mahendra Singh	Asst. Prof./ M.Sc., NET	94161277926
6.	Sh. Giri Raj Prasad Kalla	Asst. Prof./ M.Sc., M.Phil.	9828280244
7.	Sh. Mohd. Islam	Comp. Inst.	
8.	Sh. Ashok Singh	Comp. Inst.	8829893691

Administrative

S.NO.	NAME	POST	MOBILE NO.
1.	Sh. O.P. Bohra	Registrar	9413251050
2.	Sh. Raziq Wadood	Dy. Registrar	9368639560
3.	Sh. Ayaz Ahmed	CF & AO	9983499057
4.	Sh. Mohd. Mosin	Comp. Opt.	9928964025
5.	Sh. Abdul Rehman	Comp. Opt.	9929247432
6.	Sh. Mehboob Ali	P.T.I.	9782892007
7.	Sh. Mohd. Faisal	LDC	
8.	Mohd. Momin Ansari	LDC	
9.	Sh. Anwar Khan	Peon	
10.	Sh. Manish Goyal	Peon	8769419946
11.	Sabnam	Peon	-
12.	Sh. Iqbal Mohd.	Peon	7062064884
13.	Salma Bano	Peon	-